बिहार सरकार
<u>ऊर्जा विभाग</u>

पत्रांक–प्र0 / NBPDCL–04 / 2025– / पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– **नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के क्षेत्राधीन सुपौल, पश्चिमी चम्पारण, कटिहार एवं पूर्णिया जिला अंतर्गत 33 गाँवों (7117 घरों) को ऑन ग्रिड विद्युतीकरण हेतु कुल राशि 130.42 करोड़ (एक सौ तीस करोड़ बयालीस लाख) रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2026–27 में 25.79 करोड़ (पच्चीस करोड़ उनासी लाख) रूपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को हिस्सा पूँजी के रूप में इक्विटी स्वरूप उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

<u>आदेश–स्वीकृत।</u>

विभागीय राज्यादेश संख्या–958 दिनांक–28.02.2025 द्वारा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के क्षेत्राधीन सुपौल, पश्चिमी चम्पारण, कटिहार एवं पूर्णिया जिला अंतर्गत 33 गाँवों (7117 घरों) को ऑन ग्रिड विद्युतीकरण हेतु कुल राशि 130.42 करोड़ (एक सौ तीस करोड़ बयालीस लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 61.40 करोड़ (एकसठ करोड़ चालीस लाख) रूपये में 60:40 वित्तीय पोषण के तहत 60 प्रतिशत राशि अर्थात 36.84 करोड (छत्तीस करोड़ चौरासी लाख) रूपये केन्द्र सरकार से अनुदान स्वरूप एवं शेष राशि 93.58 करोड़ (तिरानवे करोड़ अंठावन लाख) रूपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु अबतक 21.00 करोड़ रूपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2026–27 में 25.79 करोड़ रूपये की मांग नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 द्वारा की गयी है जिसे राज्य सरकार द्वारा हिस्सा पूँजी के रूप में इक्विटी स्वरूप उपलब्ध कराया जाना है।

2. उक्त आलोक में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के क्षेत्राधीन सुपौल, पश्चिमी चम्पारण, कटिहार एवं पूर्णिया जिला अंतर्गत 33 गाँवों (7117 घरों) को ऑन ग्रिड विद्युतीकरण हेतु कुल राशि 130.42 करोड़ (एक सौ तीस करोड़ बयालीस लाख) रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2026–27 में 25.79 करोड़ (पच्चीस करोड़ उनासी लाख) रूपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को हिस्सा पूँजी के रूप में इक्विटी स्वरूप उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि मांग सं0–10, मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण, लघुशीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, उपशीर्ष–0107 नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 की परियोजना, विपत्र कोड–10–4801051900107 विषय शीर्ष 54.01–निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता संख्या–PTSPLA018) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0048–नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, व्यय शीर्ष–L8448001200048 एवं प्राप्तियाँ–K–8448001200048 में जमा की जाएगी।

5. नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए CFMS खाता संख्या–PTSPLA018 से की जाएगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. उक्त योजना की स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र0 / NBPDCL–04 / 2025 के पृष्ठ संख्या–14 / टि0 पर दिनांक–25.02.2025 को प्राप्त है।

8. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र0 / NBPDCL–04 / 2025 के पृष्ठ संख्या–30 / टि0 पर दिनांक–06.05.2026 को प्राप्त है।

9. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / –

(सुधा गुप्ता)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र0 / NBPDCL–04 / 2025– / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र0 / NBPDCL–04 / 2025– 2457 / पटना, दिनांक– 12.05.2026

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा / अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना / बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना / लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग(तीन प्रतियों में), पटना / अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 / प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 / आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.05.26

सरकार के संयुक्त सचिव।